

प्रेषक

डा० अशोक कुमार वर्मा,
सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
ऐशबाग, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: 12 अगस्त 2015

विषय: उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 6 क के अंतर्गत प्राप्त मामलों के निस्तारण हेतु उ०प्र० जोत चकबंदी नियमावली, 1954 में नियम-17क जोड़े जाने के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (23वां संशोधन) नियमावली, 2015 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 6 क के अंतर्गत प्राप्त मामलों के निस्तारण हेतु उ०प्र० जोत चकबंदी नियमावली, 1954 में नियम-17क जोड़े जाने के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (23वां संशोधन) नियमावली, 2015 की अधिसूचना संख्या-346/1/8-2015-रा-8, दिनांक 12 अगस्त, 2015 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त नियमावली को असाधारण गजट दिनांक 12 अगस्त, 2015 के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशन कराते हुए उक्त नियमावली की 350 मुद्रित प्रतियां इस अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(डा० अशोक कुमार वर्मा)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि चकबन्दी आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ को उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 6 क के अंतर्गत प्राप्त मामलों के निस्तारण हेतु उ०प्र० जोत चकबंदी नियमावली, 1954 में नियम-17क जोड़े जाने के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (23वां संशोधन) नियमावली, 2015 की अधिसूचना संख्या-346/1/8-2015-रा-8, दिनांक 12 अगस्त, 2015 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रतियां संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

कार्यालय चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या 3253 / जी०-411/97-98

दिनांक 18 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुरेश सिंह यादव)

अपर संचालक चकबन्दी(प्र०)
कृते आयुक्त।